राजनेताओं व मुख्यालय की बेरूखी के बावजूद

मजदूर हित में ईएसआई डाक्टरों ने हड़ताल वापस लेकर बाजी जीती

फरीदाबाद(म.मो) दिवाली की रात (19 अक्टूबर) ईएसआई एमसी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे सीनियर रेजिडेंट डाक्टर राघव अस्पताल परिसर में ही स्थित मैस में खाना खाने आए। जहां उन्होंने अपनी कार खड़ी की वहीं कुछ बम्ब, पटाखे आदि चलाने लगे। डॉ. राघव के कहने के बावजूद जब गाड़ी के पास पटाखे चलाने से नहीं हटे तो डाक्टर साहब ने उनके पटाखे उठाकर दूर फेंक दिए। अपने बच्चों की यह तोहिन अस्पताल के दफ्तरी बाबू (सहायक निदेशक) विरेंद्र दहिया को बर्दाश्त नहीं हुई। दहिया व उसके परिजनों ने मिल कर डाक्टर साहब को थप्पड़-घुंसों से पीट कर जमीन पर गिरा लिया और फिर बुरी तरह लतियाया।

इससे डाक्टर साहब के नाक से खून बहने लगा, शायद नाक की हड्डी टूट गई थी। वहां मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने पास ही के फ्लैट में मौजूद डीन साहब को सूचित कर दिया। डीन साहन तुरंत मौके पर पहुंचे। डॉ. साहब को सांतवना दी तथा उनका छीना हुआ मोबाइल फोन वापस दिलवाया, जो दहिया की किसी परिजन के हाथ में था। डीन द्वारा दी गई सांत्वना और मोबाइल दिलाने मात्र से डा॰ राघव संतुष्ट नहीं थे। हो भी कैसे सकते थे। उनके साथ जो भी कुछ घटित हुआ उसकी भरपाई इतने भर से होने वाली नहीं थी।

लिहाजा डॉ. राघव ने अपना मेडिकल (एमएलआर) कराया और पुलिस में शिकायत दी, जिस पर थाना एसजीएम नगर में में भा.द.स. की धारा 332, 353, 186 व 506 के तहत मुकदमा न. 625 दर्ज कर लिया। डाक्टरों की मांग थी कि दहिया की तुरंत गिरफ्तारी हो और उसे संस्पेंड किया जाए। इनमें से कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार डीन को नहीं है। गिरफ्तारी पुलिस ने करनी थी और निलंबन ईएसआई कार्पोरेशन मुख्यालय ने करना था।

अस्पताल के अन्य डाक्टरों व अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने पर डाक्टर राघव इस बात पर राजी हो गए कि दहिया माफी मांग ले तो समझौता हो सकता है लेकिन दहिया अपना अड़ियल एवं शातिराना रुख दिखाते हुए उसने न केवल माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया बल्कि अपने घर की एक महिला द्वारा डाक्टर राघव के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास भी किया, जो सफल नहीं हुआ।

इन हालात में डाक्टर इक्ट्ठे होकर स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के पास पहुंचे, लेकिन वहां से भी नेताओं वाले अंदाज में केवल जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ ठोस नहीं मिला। मजबूरन 70-80 डाक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप करीब सात लाख मजदूर परिवारों को सेवा देने वाले अस्पताल को लकवा मार गया। मरीज बुरी तरह प्रभावित होने लगे। हड़ताल खुलवाने में निष्क्रिय प्रशासन की असफलता से दुखी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्वायंट ट्रेड यूनियन काउंसिल हरकत में आई। काउंसिल सदस्य बेचू गिरी, उमेश गुप्ता, लालबाबू, निरंतर पाराशर, राजपाल डांगी व जवाहर लाल आदि हड़ताल के पांचवे दिन यानी 24 अक्टूबर को पहले जिला उपायुक्त समीरपाल सरों से और फिर मैडिकल कालेज अस्पताल के डीन डॉ. असीम दास से मिले। इन नेताओं ने हड़ताल के प्रति अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया।

इसके बाद सबसे अंत में सांय सात बजे काउंसिल के सदस्य हड़ताली डाक्टरों से मिले। उनके दुख दर्द सुनने के बाद नेताओं ने हड़ताली डाक्टरों को समझाया कि मक्खी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हड़ताल तो एक ब्रह्मास्त्र है जिसका उपयोग सबसे अंत में तब किया जाता है जब बाकी सारे अस्त्र फेल हो जाएं।

हड़ताली डाक्टरों ने बात को हाथों हाथ लेते हुए कहा कि जब कोई उनकी सुनने तक को तैयार नहीं तो वें क्या करते? ट्रेड यूनियन नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करेगा तो तमाम ट्रेड यूनियन डाक्टरों के साथ खड़ी होकर कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष में उनके साथ रहेंगे। बस इतना कहने भर की देर थी कि तमाम हड़ताली काम पर लौट आये और उसी शाम आठ बजे से अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। हड़ताल खुलने से, जो डाक्टर अब तक प्रशासन के निशाने पर थे, अब उनका पलड़ा एकदम भारी हो गया। निशाने पर केवल वह दफ्तरी बाबू दहिया रह गया, जिसने पहले तो सारे बबला को जन्म दिया और समझौता न करके, अपने अड़ियल रवैये से समस्या को विकराल बनाता चला गया। उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि उसकी हठधर्मिता का नतीजा कितने मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। उसे आपराधिक मुकदमा लड़ने व अदालतों के धक्के खाने का कुछ ज्यादा ही शौक दिखता है। फिलहाल 26 अक्टूबर को उसकी अग्रिम जमानत मंजूर हो गयी है। लेकिन यह मुकदमे का अंत नहीं है असल मुकदमा तो अभी बाकी है।

राजनेताओं के लिए अस्पताल महत्वहीन, मुख्यालय की रूचि तमाशा देखने में रही

शहर के सात लाख परिवारों की चिकित्सा सेवा बाधित होने पर न तो स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री के कानों पर जूं रेंगी और न ही किसी विधायक के। आये दिन सड़को - गलियों में नारियल फोड़ने वाले इन नेताओं में से किसी ने भी एक बार को हड़तालग्रस्त इस अस्पताल में झांकने की जहमत नहीं उठाई, हां इस अस्पताल में कोई फीता काटना होता या नरियल फोड़ना होता तो इनमें होड़ लग जाती। जाहिर है ये नेतागण न तो इस अस्पताल को अपना समझते हैं और न यहां इलाज कराने वाले मजदूरों को। इसलिए इनकी ओर से तो भाड़ में जायें यह अस्पताल और इसके मरीज। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि ईएसआई के इस अस्पताल में इनकी दादागिरी एवं धोंसपट्टी नहीं चल सकती। क्योंकि यह हरियाणा सरकार की बजाए केंद्र सरकार के आधीन है।

रही बात दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठे उच्चाधिकारियों की, तो उनकी तो कभी इच्छा रही ही नहीं थी कि यह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चले। जब कोई सही डीजी तथा श्रम सचिव इन नलायाक एवं जनविरोधी अफसरों के सिर पर आ बैठता है तब कहीं मजबूरी में ये लोग इसे चलाने की बात करते हैं। नये नये नौकरी में आये नौजवान हड़ताली डाक्टरों की बात को ढंग से सुन कर उसका उचित समाधान करने के बजाय मुख्यालय से आये एक दो अधिकारियों ने उल्टे हड़ताली डाक्टरों को डरा धमका कर हड़ताल खुलवाने का असफल प्रयास किया। कोई पूछे उन नालायक अफसरों से कि एक डाक्टर को बिना बात पीट - पीट कर लहू-लुहान कर देने वाले एक दफतरी बाबू को तुरंत सस्पेंड करने व उसका यहां से तबादला करने में इनका क्या जाना था?

केवल इतना भर ये उच्चाधिकारी कर देते तो हड़ताल की नौबत ही न आती। हालात को गहराई व बारीकी से समझने पर लगता है कि ये उच्चाधिकारी चाहते ही नहीं थे कि अस्पताल का माहौल ठीक हो, बल्कि हालात को और बिगाड़ने के लिये हड़ताली डाक्टरों पर एसमा (अनिवार्य सेवा अधिनियम) लगा कर इन्हें गिरफतार कराना चाहते थे। जाहिर है इससे हालात और बिगड़ते, मजदूर वर्ग भड़क कर सड़कों पर उतरता, पूरे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती। अंत में इसका ठीकरा अस्पताल के मुखिया (डीन) पर फोड़ कर उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता।

लेकिन औद्योगिक नगरी के जागरूक ट्रेड यूनियन नेताओं ने अपनी जागरूकता एवं समझ-बूझ का परिचय देते हुए मामले में हस्तक्षेप किया और जो काम राजनेताओं व उच्चाधिकारियों को करना चाहिये था। वह इन नेताओं ने कर दिखाया।

दूसरी ओर डॉ. राघव की एक उंगली में फ्रेक्चर होने व धारा 333 लगने के बावजूद दफतरी बाबू दहिया को अग्रिम जमानत मिल गई और वह मूंछों पर ताव देता व डाक्टरों को चिढ़ाता हुआ अस्पताल में आने लगा। दहिया के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के बजाय इस अस्पताल में बनाय रख कर ईएसआई मुख्यालय एक प्रकार से डाक्टरों को चिढ़ाकर संदेश दे रहा है कि वह डाक्टरों की कोई परवाह नहीं करता। लेकिन मुख्यालय भूल रहा है कि अब डाक्टर अकेले नहीं हैं उनके साथ पूरा मजदूर वर्ग भी है, जो जरूरत पड़ने पर एक दहिया तो क्या पूरे प्रशासन का जीना हराम कर सकता है।

पत्नी की मौत के एवज में मिली अनुकंपा नौकरी से सवा दो साल बाद छुट्टी

फरीदाबाद। जिला स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों की लापरवाही से पत्नी को गंवाने के बाद गांव मोहना निवासी सुखबीर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुखबीर की पत्नी की मौत नसबंदी का ऑपरेशन कराते समय वर्ष 2014 में मोहना पीएचसी में हुई थी।

उस समय ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सुखबीर को अनुबंध के आधार पर नौकरी और आर्थिक सहायता देने का वायदा कर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। घटना को हुए अभी मात्र सवा दो साल ही गुजरे कि स्वास्थ्य विभाग ने सुखबीर को नौकरी से निकाल दिया। फिलहाल सुखबीर नौकरी को दोबारा हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरे खा रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत सीएम विंडो पर करनी चाही, लेकिन उन्होंने शिकायत लेने से ही इनकार कर दिया।

सुखबीर के अनुसार उसके परिवार में चार बगों के अलावा पत्नी राजबाला थी। वर्ष 2014 में उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के छह महीने बाद 28 नवंबर 2014 को राजबाला गांव की आशा वर्कर के साथ मोहना स्थित पीएचसी में आयोजित शिविर में नसबंदी करवाने के लिए गई थी। ऑपरेशन के दौरान राजबाला की डाक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई।

घटना को लेकर गांव के लोगों में भारी अक्रोश उत्पन्न हो गया था। जिसके बाद गांव के सैंकड़ों लोग इक्ट्ठे होकर बीके अस्पताल पहुंच गए थे। लोगों के भारी विरोध को देख कर तत्कालीन एसडीएम महाबीर प्रसाद, विधायक टेकचंद शर्मा और सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा ने ग्रामीणों के सामने उसे आर्थिक सहायता देने और डीसी रेट पर अनुबंध के आधार बीके अस्पताल में नौकरी देने का आश्वासन दिया था।

उसे अनुबंध के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी दे दी गई थी हालांकि उस दौरान उसने मामले में अदालत में केस भी दायर कर दिया था जो फिलहाल विचाराधीन है। उसे नौकरी करते हुए मात्र सवा दो साल ही बीते थे कि सीएमओ गुलशन अरोड़ा का असली चेहरा सामने आ गया। नया ठेका छुटने पर अन्य कर्मचारियों को तो काम पर रख लिया गया लेकिन उसे निकाल दिया गया।

सुखबीर ने ठेकेदार से बात की तो उसका कहना था कि सीएमओ के कहने पर ऐसा किया गया है। उसने सीएमओ से मिलने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। परेशान होकर वह मामले की लिखित शिकायत लेकर सीएम विंडो पर पहुंचा पर असफल रहा।

23 अक्टूबर को सुखबीर मामले की लिखित शिकायत लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गूर्जर के निवास पर पहुंचा। मंत्री की अनुपस्थिति में उनके सहायक ने शिकायत बगभगढ़ के एसडीएम के नाम पर मार्क कर उसे थमा दी। उसे ही एसडीएम तक पहुंचाने की बात कह कर सहायक ने अपना पल्ला झाड़ लिया।

सरकार की जनविरोधी नीतियों से गर्त में जा रहा है बीके अस्पताल

फरीदाबाद। एक तरफ राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं में इजाफा करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जिले का सबसे बड़ा बीके अस्पताल उन्नति करने की बजाए लगातार गर्त में जा रहा है। कहने को बादशाह खान अस्पताल में 200 बिस्तरों की सुविधाएं मौजूद है। लेकिन कर्मचारियों की कमी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक वार्ड पूरी तरह बंद कर अस्पताल को मात्र 150 बिस्तर का कर दिया है। कमी पर पर्दा डालने के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को दाखिल करने की बजाए उन्हें आवश्यकता न होने पर भी दिगी के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है।

यूं तो मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के आए दिन बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन इन दावों की पोल जिले के बादशाह खान अस्पताल के अधिकारी ही लगातार खोल रहे है। अस्पताल में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के साथ साथ सबसे ज्यादा स्टाफ नर्सो की कमी है। स्टाफ नर्सो के 90 पद है, लेकिन फिलहाल मात्र 13 स्टाफ नर्स ही मौजूद हैं। इनमें तीन लंबी छुट्टियों पर है और एक की ड्यूटी ब्लड बैंक में लगाई जाती है।

अस्पताल में मौजूद डाक्टरों और कर्मचारियों की स्थिति

	पद	मौजूद	कमी
डाक्टर	55	38	17
स्टाफ नर्स	90	13	77
नर्सिंग स्टाफ	14	8	6
लैब तकनीशियन	14	4	10
फार्मासिस्ट	9	6	3

फिलहाल अस्पताल में दाखिल मरीजों की देखभाल नौ स्टाफ नर्स, नर्सिंग की छात्राओं की मदद से कर रही हैं।

इससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। भारी कमी पर पर्दा डालने के लिए सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए अस्पताल की तीसरी मंजिल में चल रहे मेडिकल वार्ड को बंद कर दिया हैं। मेडिकल वार्ड के मरीजों को भी दूसरी मंजिल में ही दाखिल करने की व्यवस्था की गई हैं। तीसरी मंजिल का वार्ड बंद कर दिए जाने से अस्पताल में अब मरीजों के लिए मात्र 150 बिस्तर ही उपलब्ध है। ऐसे में गंभीर स्थिति न होने पर भी मरीजों को दिगी के सफदरजंग अस्पताल में रेफर करने का प्रयास किया जाता है। स्टाफ नर्स ही नहीं बल्कि डाक्टर और अन्य कर्मचारियों की भी भारी कर्मी बनी हुई है। जिससे अस्पताल की व्यवस्था बुरी तरह चरमराई रहती है। अस्पताल के आला अधिकारियों की माने तो वे डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यालय में पत्र भेजते रहते है।

सरकार और अधिकारियों के बीच पत्र का खेल सिर्फ जनता को दिलासा देने के लिए ही खेला जाता है। यदि सरकार में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इन चीजों के लिए बजट की कोई कमी होती है। लेकिन सरकार आम लोगों के कल्याण के नाम पर सिर्फ दिखावा करती रहती है।

पुलिस की मिलीभगत से खुले घूम रहे है आजाद के हमलावर

फरीदाबाद। (म.मो.) तथाकथित गौभक्तों के हमला का शिकार हुआ नेहरू कालोनी निवासी आजाद करीब 18 दिन बाद भी अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ थाना मुजेसर की पुलिस ने इस मामले में मारपीट की मामूली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जोकि अब जमानत पर रिहा हो गए है। घटना के बाद पुलिस ने अभी तक भी इस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई।

नेहरू कालोनी निवासी नवाब ने बताया कि उसका भतीजा आजाद अपने साथी शहजाद, अहसान और दो अन्य के साथ गांव फतेहपुर तगा से भैंस का मांस लेकर आटो से लौट रहा था। गांव बाजड़ी के पास करीब 10-15 लोगों ने आटो को रूकवा लिया। यह लोग आजाद व उसके साथियों पर गौमांस की तस्करी करने का आरोप लगा बेरहमी से मारपीट करने लगे। आजाद व उसके साथियों ने लाख मिन्नते की कि वे भैंस का मांस ले जा रहे है। लेकिन आरोपियों ने उन्हें नहीं बख्शा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच आजाद व उसके साथियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मांस के सैम्पल की रिपोर्ट आए बिना आजाद व अन्य पर गौमांस की तस्करी का मामला भी दर्ज कर दिया।

अगले दिन रिपोर्ट आने पर जब पता चला कि मांस वास्तव में भैंस का था तो आजाद के हमलावरों भा.द.स. की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बजाये मामूली धाराओं (भा.द.स. की धारा 148, 149, 323, 341 व 506)के तहत केस दर्ज कर लिया। नवाब ने बताया कि आजाद को फिलहाल अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर है। कामधंधा करना तो दूर वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। यहीं स्थिति आजाद के साथी अहसान की है। अहसान अपने रोजमर्रा के काम भी हाथ से नहीं कर पा रहा है। नवाब ने बताया कि अन्य आरोपी खुले आम घूम रहे है।

पुलिस जानबूझ कर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को अन्य आरोपियों के बारे में पता नहीं है। उन्होंने पुलिस को अन्य आरोपियों के नाम पता बताए थे। दूसरी तरफ इस मामले के जांच अधिकारी बनाए गए हवलदार लोकेश ने स्वीकार किया कि अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। लोकेश का कहना है कि वह फिलहाल बीमारी की वजह से पिछले तीन चार दिनों से अस्पताल में दाखिल है। हरियाणा की संघी सरकार के लिए इस केस का बस इतना ही महत्व है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06